

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1
संख्या- /XIV-1/18/03(01)2018टी0सी0
देहरादून दिनांक-12 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप


कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-87/XXX(2)/18/30(13)2017, दिनांक-06 अप्रैल, 2018 के क्रम में सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-440/XIV-1/18-3(01)2018, दिनांक-04 अप्रैल, 2018 को तात्कालिक प्रभाव अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुपालन में सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में स्थायी स्थानान्तरण समिति का एतद्वारा निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण, कृषि विभाग
उत्तराखण्ड शासन। सदस्य
2. संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन। सदस्य

(आर मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या-501/XIV-1/18/03(01)2018 टी0सी0 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, /कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन स्तर से होने वाले स्थानान्तरण हेतु अधिनियम-2017 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0एस0बोरा)
उप सचिव।